न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :–159/2022

अनवान मुकदमा –

1. लालचन्द पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन 4 एसटीबीतहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. पुष्पा पत्नी स्व. जयमलराम जाति जाट साकिन 11 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. विकास पुत्र स्व. जयमलराम जाति जाट साकिन 11 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. कान्ता पुत्री स्व. जयमलराम जाति जाट साकिन 11 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. भागवन्ती पत्नी स्व. मामराज जाति जाट साकिन 4 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. शारदा पत्नी लालचन्द जाति जाट साकिन 4 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

–:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 49 रा.का.अधि. बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं विनिमय:–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता --- वादी
2. श्री राजेन्द कुमार पटीरअधिवक्ता --- प्रतिवादी स. 1ता 5
3. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 6
4. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ --- प्रतिवादी सं. 7

–:: निर्णय :–

दिनांक –19/05/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 49आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगणी का पंजीकृत एवं प्रमाणित ... वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:31:08 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ... प्रतिवादी सं. 4 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के ... खाता सं. 34/5 के 85/365(28) कि0न0 1/2, 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18 की 4.402 है0 कमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में वादी का 1467/4402 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड वाके है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र की गई है।

19.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पति व पिता, प्रतिवादी सं. 4 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एसटीबी के मु0 खाता सं. 21/17 के प0न0 108/368(12) कि0न0 10/1, 11, 12/2, 19/2, 20, 21, 22/2 की 1.024 है0 अनकमाण्ड खातेदारी" वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड वाके है। नकल जमाबंदी संलग्न की गई है।

वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पति व पिता, प्रतिवादी सं. 4 के नाम कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 10 एमडब्ल्यूएम के मु0 खाता सं. 20/16 के प0न0 119/367(28) कि0न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10 की 2.530 है0 कमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड वाके है। नकल जमाबंदी संलग्न की गई है।

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पति व पिता के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के खाता सं. 33/104 के प0न0 84/365(29) कि0न0 4/2, 5, 6, 7/2, 14 ता 17, 24, 25, प0न0 85/365(28) कि0न0 19, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 25/3 की कुल 4.022 है0 कमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड वाके है। नकल जमाबंदी संलग्न की गई है।

वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पति व पिता, प्रतिवादी सं. 4 ने अपने नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि का अर्सा दराज पूर्व तबादला कर घरू बंटवारा कर लिया था व उसी अनुसार अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। पक्षकारान् का घरू बंटवारा निम्नानुसार है–

(क) वादी को प्राप्त भूमि–

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के खाता सं. 34/5 के प0न0 85/365(28) कि0न0 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 9, 10/2/0.202, 11/2/0.202, 12/0.253, 13/0.116 की कुल 1.785 है0 व इसी चक के खाता सं. 33/104 के प0न0 84/365(29) कि0न0 4/2/0.215, 5, 6, 7/2/0.240, 14/0.126, 15/0.126(उत्तरी दिशा किला न. 6 व 7 के चिपते ही) की 1.213 है0 कुल दोनों पत्थरों की 2.998 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खातेदारी।

(ख) प्रतिवादी सं. 4 को प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के खाता सं. 34/5 के प0न0 85/365(28) कि0न0 13/0.137, 14, 15/1/0.228 ,15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17, 18 की कुल 1.403 है0 व इसी चक के खाता संख्या 33/104 के प0न0 84/365(29) कि0न0 14/0.127, 15/0.127 (दक्षिणी दिशा किला नं. 16, 17 के चिपते ही), 16, 17, 24, 25, प0न0 85/365(28) कि0न0 19, 20/2 ता 25/3 की कुल 2.809 है0 इस प्रकार कुल 4.212 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खातेदारी।

(ग) प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को प्राप्त भूमि–

तहसील पीलीबंगा के चक 2 एसटीबी के खाता संख्या 21/17 के प0न0 108/368(12) कि0न0 10/1, 11, 12/2, 19/2, 20, 21, 22/2 की 1.024 है0 अनकमाण्ड खातेदारी व तहसील हनुमानगढ़ के चक 10 एमडब्ल्यूएम के खाता सं. 20/16 के प0न0 119/367(28) कि0न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10 की 2.530 है0 कमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी इस प्रकार कुल 3.554 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी।

(घ) प्रतिवादी सं. 5 को प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के खाता संख्या 34/5 के प0न0 85/365(28) कि0न0 1/2/0.202, 2 ता 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025 की 1.214 है0 कमाण्ड मय गैरमुमकिन खातेदारी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:31:08 IST
Reason: SelfAttested

19.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने आपने हिस्सा में आई भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसी अनुसार वादी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है व विनिमय करवाने का हकदार है।

अतः वाद वादीपेश कर निवेदन किया है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :–घोषित किया जावे कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वाद पत्र की दफा 6 की उपदफा क से घ अनुसार खातेदार काश्तकार है। व इसी अनुसार खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 5 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।बहस उभयपक्ष सुनी गयी। जवाब स्टेट प्राप्त हुए जिन्हे शामिल मिसल किया गया।

इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:08 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गौर किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान [illegible] अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीएवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान

19.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 49के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

(क) वादी को प्राप्त भूमि–

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के खाता सं. 34/5 के प0न0 85/365(28) कि0न0 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 9, 10/2/0.202, 11/2/0.202, 12/0.253, 13/0.116 की कुल 1.785 है0 व इसी चक के खाता सं. 33/104 के प0न0 84/365(29) कि0न0 4/2/0.215, 5, 6, 7/2/0.240, 14/0.126, 15/0.126(उत्तरी दिशा किला न. 6 व 7 के चिपते ही) की 1.213 है0 कुल दोनों पत्थरों की 2.998 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खातेदारी।

(ख) प्रतिवादी सं. 4 को प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के खाता सं. 34/5 के प0न0 85/365(28) कि0न0 13/0.137, 14, 15/1/0.228 ,15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17, 18 की कुल 1.403 है0 व इसी चक के खाता संख्या 33/104 के प0न0 84/365(29) कि0न0 14/0.127, 15/0.127 (दक्षिणी दिशा किला नं. 16, 17 के चिपते ही), 16, 17, 24, 25, प0न0 85/365(28) कि0न0 19, 20/2 ता 25/3 की कुल 2.809 है0 इस प्रकार कुल 4.212 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खातेदारी।

(ग) प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को प्राप्त भूमि–

तहसील पीलीबंगा के चक 2 एसटीबी के खाता संख्या 21/17 के प0न0 108/368(12) कि0न0 10/1, 11, 12/2, 19/2, 20, 21, 22/2 की 1.024 है0 अनकमाण्ड खातेदारी व तहसील हनुमानगढ़ के चक 10 एमडब्ल्यूएम के खाता सं. 20/16 के प0न0 119/367(28) कि0न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10 की 2.530 है0 कमाण्ड मय गैरमुमकिनखाला खातेदारी इस प्रकार कुल 3.554 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी।

(घ) प्रतिवादी सं. 5 को प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के खाता संख्या 34/5 के प0न0 85/365(28) कि0न0 1/2/0.202, 2 ता 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025 की 1.214 है0 कमाण्ड मय गैरमुमकिन खातेदारी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा/व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तामील होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:08 IST
Reason: SelfAttested

19.05.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आ0–20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :–159/2022

अनवान मुकदमा –

1. लालचन्द पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन 4 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादी

बनाम

1. पुष्पा पत्नी स्व. जयमलराम जाति जाट साकिन 11 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. विकास पुत्र स्व. जयमलराम जाति जाट साकिन 11 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. कान्ता पुत्री स्व. जयमलराम जाति जाट साकिन 11 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. भागवन्ती पत्नी स्व. मामराज जाति जाट साकिन 4 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. शारदा पत्नी लालचन्द जाति जाट साकिन 4 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 49 रा.का.अधि. बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं विनिमय :–

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 13/05/2022

वादी की ओर से श्री शलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर श्री राजेन्द कुमार पटीर, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:08 IST
Reason: SelfAttested

(क) वादी को प्राप्त भूमि–

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के खाता सं. 34/5 के प0न0 85/365(28) कि0न0 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 9, 10/2/0.202, 11/2/0.202, 12/0.253, 13/0.116 की कुल 1.785 है0 व इसी चक के खाता सं. 33/104 के प0न0

19.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

84/365(29) कि0न0 4/2/0.215, 5, 6, 7/2/0.240, 14/0.126, 15/0.126(उत्तरी दिशा किला न. 6 व 7 के चिपते ही) की 1.213 है0 कुल दोनों पत्थरों की 2.998 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खातेदारी।

(ख) प्रतिवादी सं. 4 को प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के खाता सं. 34/5 के प0न0 85/365(28) कि0न0 13/0.137, 14, 15/1/0.228 ,15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17, 18 की कुल 1.403 है0 व इसी चक के खाता संख्या 33/104 के प0न0 84/365(29) कि0न0 14/0.127, 15/0.127 (दक्षिणी दिशा किला नं. 16, 17 के चिपते ही), 16, 17, 24, 25, प0न0 85/365(28) कि0न0 19, 20/2 ता 25/3 की कुल 2.809 है0 इस प्रकार कुल 4.212 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खातेदारी।

(ग) प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को प्राप्त भूमि–

तहसील पीलीबंगा के चक 2 एसटीबी के खाता संख्या 21/17 के प0न0 108/368(12) कि0न0 10/1, 11, 12/2, 19/2, 20, 21, 22/2 की 1.024 है0 अनकमाण्ड खातेदारी व तहसील हनुमानगढ़ के चक 10 एमडब्ल्यूएम के खाता सं. 20/16 के प0न0 119/367(28) कि0न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10 की 2.530 है0 कमाण्ड मय गैरमुमकिनखाला खातेदारी इस प्रकार कुल 3.554 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी।

(घ) प्रतिवादी सं. 5 को प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एसटीबी के खाता संख्या 34/5 के प0न0 85/365(28) कि0न0 1/2/0.202, 2 ता 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025 की 1.214 है0 कमाण्ड मय गैरमुमकिन खातेदारी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 19.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:08 IST
Reason: SelfAttested

19.05.2022

(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवम्

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

राजस्व वाद संख्या :– 206/2022

1. भागीरथ उम्र 25 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन 1 टी.के.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

– – वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन 1 टी.के.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. निर्मला पत्नी विकास पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नगी तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
3. बिन्दू बाला पत्नी बृजलाल पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. नितू बाला पत्नी रोहिताश कुमार पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नीमला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हिरयाणा।
5. आदित्य पत्नी राजेश पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सौरभ पत्नी राजाराम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बागिया तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

– – प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा</u>

<u>–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–</u>

1. श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता — **वादी**
2. श्री महेन्द्र पाल सैन अधिवक्ता — **प्रतिवादी सं. 1 ता 6**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27/5/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीकृत व प्रमाणित पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है।

प्रतिवादी स. 1 वादी का पिता है, प्रतिवादिया स. 2 ता 6 वादी की सगी बहिने है, वादी व प्रतिवादीगण एक ही सुयक्त परिवार से सम्बंध रखते है।

वादी, प्रतिवादी स. 2 ता 6 के पिता ओमप्रकाश यानिकी प्रतिवादी स. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 1 टी.के.डब्ल्यू के खाता स. 12/7 के प.न. 10/226 के किला न. 12 ता 15, 17/2 ता 19, 20/1/.228, 20/2/.025, 21/1/.228, 21/2/.025, 22 ता 25 की कुल 3.163 हैक. नहरी अनकमाण्ड मय गैर मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबंदी की प्रति सलग्न वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें मिन वादी का ही हक व हिस्सा निहित है प्रतिवादी स. 1 के नाम वर्णित उक्त कृषि भूमि पूर्व मे वादी के दादा लेखराम पुत्र पूराराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
27.05.2022

कृषि भूमि प्रतिवादी स. 1 को वर्तमान राजस्व रिकार्ड वर्णित कृषि भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि भी दादा लेखराम से प्राप्त हुई थी लेकिन प्रतिवादी स. 1 ने अपने हक व हिस्सा से अधिक कृषि भूमि का पूर्व मे ही अविधिक तरीके से बैचान कर दिया था वर्तमान में प्रतिवादी स. 1 नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही बनता वर्तमान में प्रतिवादी स. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में केवल वादी का ही हक व हिस्सा बनता है प्रतिवादी स. 2 ता 6 जो वादी की बहिने है ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा दान दहेज के रूप में प्राप्त कर चुकी है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि मे केवल वादी का ही हक व हिस्सा बनता है। वादी अपने हक व हिस्से अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है, तथा वादी को प्राप्त हिस्सा मे से प्रतिवादी स. 1 का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :- घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा वादी वाद पत्र की दफा 5 अनुसार करवाने का अधिकारी है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी हैं, वादी को प्राप्त भूमि में से प्रतिवादी स. 1 का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने का अधिकारी हैं।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पति में पुत्र का ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:08 IST
Reason: SelfAttested

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
27.05.2022

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत तहसील पीलीबंगा के चक 1 टी.के. डब्ल्यू–ए के खाता स. 12/7 के प.न. 10/226 के किला न. 12 ता 15, 17/1/.127, 18, 19, 20/1/.228, 20/2/.025, 21/1/.228, 21/2/.025, 22 ता 25 की कुल 3.163 हैक. नहरी अनकमाण्ड मय गैर मु. खाला भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स. 1 का नाम व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
27.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
अति. सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:08 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस
राजस्व वाद संख्या :- 206/2022

1. भागीरथ उम्र 25 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन 1 टी.के.डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

– – वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन 1 टी.के.डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. निर्मला पत्नी विकास पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नगी तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
3. बिन्दू बाला पत्नी बृजलाल पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. नितू बाला पत्नी रोहिताश कुमार पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नीमला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हिरयाणा।
5. आदित्य पत्नी राजेश पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सौरभ पत्नी राजाराम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बागिया तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

– – प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा</u>

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27/5/2022

वादी की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से श्री महेन्द्र पाल सैन, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88 के अन्तर्गत तहसील पीलीबंगा के चक 1 टी.के.डब्ल्यू–ए के खाता स. 12/7 के प.न. 10/[illegible] किला न. 12 ता 15, 17/1/.127, 18, 19, 20/1/.228, 20/2/.025, 21/1/.228 [illegible] 22 ता 25 की कुल 3.163 हैक. नहरी अनकमाण्ड [illegible] मु. [illegible] भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स. 1 का [illegible] व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार रा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:31:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
अधिकारी पीलीबंगा
27.05.2022

में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 27/5/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
27.05.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:08 IST
Reason: SelfAttested